मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन भोपाल--462004

क्रमांक [illegible] /10/3/2000 भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2000

प्रति

1 – समस्त जिलाध्यक्ष
मध्य प्रदेश.

2 – समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)
मध्य प्रदेश.

विषय :– वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन पर नियंत्रण।

----0----

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर प्रसारित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन को रोकने की दृष्टि से कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए जाते हैं कि :–

1– जिले में वर्तमान में स्वीकृत समस्त उत्खनन लीज प्रकरणों का जिलाध्यक्ष एवं वन मंडलाधिकारियों द्वारा समीक्षा कर यह पुष्टि कराई जायेगी कि जिले में कोई भी उत्खनन कार्य अनियमित रूप से वन क्षेत्र में संचालित नहीं है।

2– जिलाध्यक्ष एवं वन मंडलाधिकारी यह प्रमाण–पत्र देंगे कि वन क्षेत्रों में भारत सरकार की स्वीकृति के बगैर, उत्खनन के लिए कोई पट्टा न तो दिया गया है और न ही बिना पट्टे के कोई अवैध उत्खनन हो रहा है। यह कार्य एक निश्चित समयावधि अर्थात दिनांक 31–5–2000 तक पूरा किया जाए।

(सुदीप बनर्जी)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग

(बी.के.साहा)
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग

(माला श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
राजस्व विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक/1380/10/3/2000 भोपाल, दिनांक 21 मार्च, 2000

प्रतिलिपि:

1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल

2- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग भोपाल

3- समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश.

4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश भोपाल.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(जी.ए. किरपाल)

अपर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग